# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 786/2015/जयपुर.

मैसर्स आकृति ज्वैल्स, प्रा0 लि0, पितलियों का चौक, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत–एच, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 831/2015/जयपुर.

मैसर्स रिद्धि सिद्धि जेम्स, जौहरी बाजार, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत–एच, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 837/2015/जयपुर.

मैसर्स रवि रोड़लाईन्स, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत–ई, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 07/07/2015**

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये तीन अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय/तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, वृत–एच/ई, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों से सृजित मांग राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्रों अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 38(4) को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

मनोहर पुरी

**लगातार.....2**

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित किये जाकर निम्न तालिका अनुसार मांग सृजित की गई। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रकरणों में वसूली योग्य शेष राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

| अपील संख्या | अपीलीय आदेश क्रमांक | अपीलीय आदेश दिनांक | कर निर्धारण आदेश दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 786/2015 | अ.प्रा.—II/स्थगन/अ.सं.41/15—16 | 19.05.2015 | 23.03.2015 |
| 831/2015 | अ.प्रा.—II/स्थगन/अ.सं.42/15—16 | 19.05.2015 | 19.02.2015 |
| 837/2015 | 01/अपील्स—तृतीय/स्थगन/15—16 | 05.05.2015 | 28.02.2013 |

| कर निर्धारण अवधि | सृजित कुल मांग | अपी.अधि. से चाहा गया स्थगन | अपी.अधि. द्वारा स्वीकृत स्थगन | कर बोर्ड से चाहा गया स्थगन |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012—13 | 2,55,018/— | 2,35,447/— | 85,000/— | 1,50,447/— |
| 2012—13 | 1,07,598/— | 99,421/— | 25,000/— | 74,421/— |
| 2010—11 | 5,82,701/— | 5,45,062/— | 2,75,000/— | 2,70,062/— |

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें मय स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूल योग्य राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरणों में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारीगण के पक्ष में होते हुए भी अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों में आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि को वसूल योग्य अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः प्रकरणों में शेष वसूलनीय राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों में अधिकतम राशि का स्थगन स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को पर्याप्त राहत प्रदान की जा चुकी है। शेष वसूली योग्य राशि की सीमा तक सुविधा संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में नहीं बताते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस पर मनन करने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरणों में शेष वसूली योग्य मांग राशि, **क्रमशः रूपये 1,50,477/—; रूपये 74,421/— एवं रूपये 2,70,062/—**, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थीगण इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

निर्णय सुनाया गया।

01.07.2015

( मनोहर पुरी )
सदस्य